न्यायालयः—गिरीश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन, जिला—मण्डलेश्वर (म.प्र.)

———————————————————————————

(निर्णय दिनांक 12.08.2026)

Ragistration No.RCT/737/2026
Filling No.3875/2026
CNR No.MP1005-004542-2026
Filling Date-11-08-2026

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

———————————————————————————

आरक्षी केन्द्र खरगोन, तहसील व जिला—खरगोन के अपराध क्र.—328/2026 धारा—296(ए), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता से उद्भुत प्रकरण।

———————————————————————————

प्रारूप—घ (नियम 238—क के अंतर्गत)

परिवादी	म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र खरगोन, जिला खरगोन, पश्चिम निमाड़ (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	सहायक लोक अभियोजक श्री रमेश जाट।
अभियुक्त	1— सुनिल पिता रमेश राठौड, जाति—तेली, उम्र—40 वर्ष, 2— शालिनी उर्फ शालू पति सुनिल राठौड, जाति—तेली, उम्र—28 वर्ष, सभी निवासीगण—झकरिया मस्जिद के पास संजय नगर खरगोन जिला—खरगोन (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री उदयसिंह पंवार अधिवक्ता।

प्रकरण का सारणीबद्ध विवरण

अपराध की तारीख	13.07.2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	13.07.2026
आरोप पत्र (अभियोग—पत्र) की तारीख	11.08.2026
आरोपों के विरचना की तारीख	11.08.2026
साक्ष्य प्रारंभ की तारीख	11.08.2026
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	12.08.2026

निर्णय का दिनांक	12.08.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	—

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 468 भा.ना.सु.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	सुनील	निरंक	निरंक	धारा–296 भा.न्या.सं.	दोषमुक्ति	कुछ नहीं।	निरंक
2	शालिनी उर्फ शालू	निरंक	निरंक	धारा–296 भा.न्या.सं.	दोषमुक्ति	कुछ नहीं।	निरंक

//नि र्ण य//

01– अभियुक्तगण पर दिनांक 13.07.2026 को 8:30 बजे या उसके लगभग फरियादी का निवास स्थल संजय नगर खगरोन लोक स्थान पर या उसके समीप फरियादी कलाबाई को मॉ–बहन की की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे या अन्य सुने वालों को क्षोभ कारित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा–296 के अंतर्गत अपराध का आरोप है।

02– अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी कलाबाई संजय नगर खरगोन की निवासी है। उसका बेटा व बहु दोनों अकसर उसके साथ घर के काम की बात को लेकर विवाद व लडाई–झगडा करते रहते है। दिनांक 13.07.2026 को लगभग 8:30 बजे बहु शालू कहने लगी कि डोकरी सारे

दिन भर घर पर रहती है, कुछ काम नहीं करती तो उसने कहा कि जो काम बनता है वह कर ही लेती है। इस बात पर शालू ने उसे मॉ–बहन की नंगी–नंगी गालियां दी तथा लडका ने भी आकर गाली गलौच कर मारपीट की, जिससे उसे मुॅह में चोट लगकर खून निकलने लगा व बांए हाथ की तीसरी अंगुली में चोट आई है। फरियादी द्वारा सूचना आरक्षी केन्द्र खरगोन पर दी गई। अपराध क्रमांक–328/26 अंतर्गत धारा 296, 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी। घटना स्थल का मानचित्र निर्मित किया। संबंधित साक्षीगण के कथन लेख किये। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग–पत्र न्यायालय में पेश किया।

03– प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि पूर्व स्तर पर दिनांक 12.08.2026 को फरियादी/आहत कलाबाई द्वारा किये गये शमन के आधार पर अभियुक्तगण को भारतीय न्याय संहिता की धारा–115(2), विकल्प में धारा–115(2) के अपराधों से दोषमुक्त किया गया है। धारा 296 भारतीय न्याय संहिता का अपराध अशमनीय प्रकृति का होने से उक्त अपराध में विचारण अग्रेषित किया गया है। अभियुक्तगण ने निर्णय की कण्डिका क्रमांक–01 में वर्णित आरोप को अस्वीकार किया है एवं स्वयं को झूठा फंसाना बताया। अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

04– न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में निम्न अवधारणीय प्रश्न समक्ष आता है :–

क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 13.07.2026 को 8:30 बजे या उसके लगभग फरियादी का निवास स्थल संजय नगर खगरोन लोक स्थान पर या उसके समीप फरियादी कलाबाई को मॉ–बहन की की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे या अन्य सुने वालों को क्षोभ कारित किया?

।। विनिश्चय एवं विनिश्चय के आधार।।

05— फरियादी कलाबाई (असा—1) ने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि अभियुक्तगण उसके बेटा व बहु है। घटना दिनांक 12.08.2026 से लगभग डेढ—दो माह पूर्व शाम 8:30 बजे संजय नगर खरगोन में उसके घर की है। आरोपीगण ने काम की बात को लेकर उसके साथ मारपीट की थी, जिससे उसके मुॅह से खून निकलने लगा। उक्त तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई सारभूत प्रत्यक्ष सकारात्मक तथ्य अभिलेख पर प्रस्तावित नहीं है।

06— कलाबाई (असा—1) द्वारा किए गए पूर्व कथन से असंगत उक्त कथनों के संबंध में अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछने पर उसने अभियोजन अधिकारी के प्रश्नगत अपराध से सुसंगत अभियोजन पक्ष समर्थन का कोई भी सकारात्मक सुझाव स्वीकार नहीं किया है। प्रश्नगत अपराध से सुसंगत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी—1 में लेख अर्न्तवस्तु के अनुरूप कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तावित नहीं की है।

07— अतः प्रकरण के फरियादी कलाबाई (असा—1) ने मुख्य परीक्षण में आरोपी द्वारा प्रश्नगत अश्लील गालियां उच्चारित करने के संबंध में कोई भी सारभूत, सकारात्मक, प्रभावी प्रत्यक्ष तथ्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए है।

08— प्रकरण में स्पष्ट है कि फरियादी कलाबाई (असा—1) द्वारा प्रस्तुत शमन आवेदन पर अभियुक्त को पूर्व स्तर पर धारा—115(2), विकल्प में धारा—115(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध में दोषमुक्त है एवं जहां प्रकरण में फरियादी कलाबाई (असा—1) ने प्रश्नगत अपराध से सुसंगत कोई प्रत्यक्ष सारभूत तथ्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए है वहीं उक्त साक्षी की अभिलेख पर आयी साक्ष्य को देखते हुए अभियोजन ने अन्य कोई साक्ष्य अभिलेख पर भी प्रस्तावित नहीं की है।

09— अतः प्रकरण में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए प्रश्नगत अपराध के संबंध में अभियुक्त का कोई दायित्व स्थापित नहीं होता है।

//निष्कर्ष//

10— फलतः उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आक्षेपित दोषारोप को सिद्ध करने में पूर्णत : विफल रहा है। फलतः अभियुक्तगण को धारा—296 भारतीय न्याय संहिता के अपराध से दोषमुक्त कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

11— अभियुक्तगण द्वारा अनुसंधान/विचारण के दौरान निरोध में भोगी गई अवधि के संबधं में पृथक से धारा 468 भा.ना.सु.सं. का प्रमाण—पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

मेरे निर्देशन पर टंकित

दिनांक—12.08.2026
स्थान—खरगोन

गिरीश कुमार शर्मा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन जिला—मण्डलेश्वर (म.प्र.)

परिशिष्ट

(प्रारूप च)

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षी–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.1	कलाबाई	चक्षुदर्शी / फरियादी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	कोई नहीं।	

ग. न्यायालयीन साक्षी–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	कोई नहीं।	

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन–

संख्या क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी–1 / अ.सा.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी–2 / अ.सा.1	मानचित्र
3	प्रदर्श पी–3 / अ.सा.1	साक्षी कलाबाई के पुलिस कथन

ख. प्रतिरक्षा –

संख्या क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	कुछ नहीं।	

ग. न्यायालयीन प्रदर्श–

संख्या क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	कुछ नहीं।	

घ. आवश्यक वस्तुएं–

संख्या क.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	कुछ नहीं।	

मेरे निर्देशन पर टंकित।

दिनांक–12.08.2026
स्थान – खरगोन

गिरीश कुमार शर्मा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगोन जिला–मण्डलेश्वर (म.प्र.)

GIRISH KUMAR SHARMA
Digitally signed by GIRISH KUMAR SHARMA
Date: 2026.08.12 18:43:40 +0530